न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010037102026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–355/2026

कुलदीप कुमार बनाम सरोज कुमार आदि

दिनांक–24.07.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक कुलदीप कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण सरोज कुमार आदि के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की शादी दिनांक 21/04/2026 को पूनम उर्फ छवि पुत्री सरोज कुमार उर्फ टेलर निवासी जौरा, लुहियापुर, थाना व कोतवाली औरैया के साथ हुयी थी। दूसरे दिन जब विदाई होकर आई तो उसने उसे रात में बताया कि उसके सम्बन्ध गाँव के ही एक लडके से है। वह उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन घरवालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। अगर उसने उसे छूने की कोशिश की तो वह आत्महत्या कर लेगी और उसके घर के लोगों को फंसा देगी। वह उसी के साथ ही रहना चाहती है। इस पर उसने उससे कुछ नही कहा और न ही उसे टच किया, 4 दिन बाद उसकी चौथी चलकर गयी, इसके बाद फिर वह उसको ले आये जब दोबारा वह उसके घर आयी तो वह अपनी बहन छाया उम्र 20 वर्ष को भी लेकर आयी उपरोक्त दोनो लोग अन्दर कमरे ही बने रहे। उसकी पत्नी ने उससे बात भी नही की वही अन्दर कमरे में उसके पिता जी का सामान अलमारी में रखा था जिसमें उसके पिता जी की सोने की जंजीर, एक लेडीज अगूंठी सोने की, 45000/– रूपये नगद व मुँह दिखायी में आया सामान तोडियाँ व अन्य सामान रखा था। उपरोक्त दोनों ने ताला खोलकर पूरा सामान निकाल लिया व अपने साथ ले गयी। वही उसका पूरा चढावा का सामान कीमत करीब साढे तीन लाख रूपये थी। वह भी उसी के पास है, वह सब यहाँ से ले गयी है। इसके बाद जब वह उसको लेने गया तो वहाँ पर उसके पिता सरोज कुमार उर्फ टेलर, सास–केशकांती व उनके घर के अन्य चार अज्ञात लोगो ने गाली गलौज करते हुये उसे बन्धक बना दिया। वह किसी तरह से वहाँ से निकलकर घर आया। दिनांक 24/05/2026 समय करीब 05:00 बजे शाम को उसकी बहन, बहनोई व अन्य दो बहने विदा कराने के लिये जब गयी तो उपरोक्त लोगों ने फिर से वहाँ पर झगडा फसाद किया व मारपीट करने पर आमादा हो गये। वही उनके घर में जो 4 अज्ञात लडके थे। उन लोगो ने जान से मारने की धमकी दी। इस पर उसके बहन बहनोई वापस आ रहे थे तभी ग्राम–नैपलापुर, थाना–मंगलपुर, कानपुर देहात के समीप उक्त सभी लोग तथा जिनके साथ कुलदीप कुमार पुत्र श्याम सुन्दर, हरीराम पुत्र परशुराम नि०गण जौरा व कु० छाया, कु० शिवानी तथा दो अज्ञात व्यक्ति बोलेरो व मोटरसाइकिलों से आकर घेर लिया और मारपीट करने लगे तथा बहनों का पहने हुआ जेवर लूट लिया। इस पर उसके बहन व बहनोई ने पुलिस को सूचना दी। सन्दलपुर चौकी पुलिस की मदद से वे सभी लोग उसके घर वापस आये और थाने में प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुयी। उपरोक्त लोगो ने शादी के नाम पर उसके साथ धोखाधडी की है जबकि लडकी के प्रेम सम्बन्ध दूसरे से है वह उसी के साथ रहना चाहती है। प्रार्थी ने दिनांक 20/06/2026 को टाइपशुदा लिखित प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के समक्ष प्रस्तुत किया किन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक कुलदीप कुमार के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आँफ यू.पी. एवं अन्य 2009(4) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 25.09.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–24.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.24 16:45:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court